चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 16.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 16.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सूबेदार बिन्द व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त सम्पत लाल पुत्र गयाप्रसाद निवासी बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को एक प्लास्टिक के डिब्बे में 12 लीटर कच्ची शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
1.उ0नि0 श्री सूबेदार बिन्द
2.उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह
3. आरक्षी पंकज राय
4.आरक्षी चालक संदीप यादव
गिरफ्तार करने वाली आबकारी टीम
1.आबकारी निरीक्षक आशीष सिंह
2.आरक्षी सागर
3.आरक्षी मो0 अकरम
4.म0 आ0 सुमित्रा देवी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली कर्वी व थाना भरतकूप पुलिस द्वारा 01-01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
(i). उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी आरक्षी मय हमराह आरक्षी अनुज यादव, आरक्षी रवीन्द्र कुमार द्वारा मु0न0 117/2023 धारा 125(3) द0प्र0सं0 के वारंटी अभियुक्त केदार पुत्र हरीप्रसाद निवासी कपसेठी चौकी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री बलवन्त यादव थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी शैलेन्द्र सिंह, आरक्षी संदीप लोधी द्वारा मु.स.80/24 धारा 354/323/504/506 भादवि के वारंटी अभियुक्त बब्लू उर्फ महेंद्र प्रताप पुत्र रामेश्वर निवासी टिटिहरा रोड भरतकूप थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). आज दिनांक 16.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड से दौड़ लगवायी गयी। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद निरीक्षण बारी - बारी ड्रिल करवाकर ड्रिल व शस्त्रों के बारे में बताया गया साथ ही जेटीसी कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण में अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिए तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर क्वार्टर गार्द में सलामी ली गई तथा परिवहन शाखा, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,स्टोर रूम का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया।
परेड के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव उपस्थित रहें।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/ब्रिकी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष सरधुवा रामसिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अजहर जमाल व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अनेश पुत्र रामसजीवन निवासी ग्राम बरेठी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची देशी शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री अजहर जमाल

2. मुख्य आरक्षी बृजेन्द्र कुमार

3. आरक्षी मुकद्दर

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 16.09.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 593/2014 धारा 308,323,324,504,506,34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. मनोज कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद 2.चिरन्जीव पुत्र हनुमान प्रसाद निवासीगण दुबे का पुरवा मजरा रसिन थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट (हाल थाना भरतकूप) को 03-03 वर्ष कारावास व कुल 12000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.08.2014 को वादी तीरथ प्रसाद पुत्र शिवप्रसाद निवासी दुबे का पुरवा मजरा रसिन थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट (हाल थाना भरतकूप) द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्तगणों द्वारा खेत के विवाद को लेकर वादी के भाई को लाठी –डण्डों से मारपीट कर बेहोश कर देना तथा वादी के साथ गाली गलौज,मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 593/2014 धारा 308,323,324,504,506,34 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री सुरेश कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी। उपरोक्त विवेचक द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 18.09.2014 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं पैरोकार आरक्षी रवि प्रकाश यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 16.09.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 722/2010 धारा 323,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.कल्लू पुत्र मुन्नीलाल 2.लवलेश पुत्र चन्दू उर्फ चिन्टू यादव 3.बचऊवा पुत्र चन्दू उर्फ

चिन्टू यादव 4.भुल्लू पुत्र रामबहोरी निवासीगण ग्राम उफरौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 03-03 माह का साधारण कारावास व 2000/-2000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(9) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सुश्री विदिशा भूषण द्वारा आज दिनाँक 16.09.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 581/2018 धारा 354 भा0द0वि0 भादवि0 व 04 पॉक्सो एण्ट के आरोपी अभियुक्त सुनील उर्फ मन्झा पुत्र अर्जुन निवासी भुइहरी माफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 5000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।